




## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।

### विज्ञापित - वास्ते लेखन सामग्री

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय-वर्ष 2016-17 (दि० 01.04.2016 से दि० 31.03.2017 तक) के लिए लेखन सामग्री, फार्मों की छपाई, कम्प्यूटर अनुक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्य करने हेतु दि० 28.07.2016 को 04.00 बजे तक प्रतिष्ठित कम्पनी के सील्ड बन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन समय 4.00 बजे क्य समिति के समक्ष खोले जायेंगे। नियत समय के पश्चात प्राप्त टेण्डरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि ₹ 5,000.00 नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी, जो टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी। सामग्रियों का विवरण व टेण्डर के नियम व शर्तें नजारत अनुभाग व जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एन0आई0सी0 एवं इस अधिष्ठान की वेवसाइट पर देखी जा सकती है, जो फर्म पूर्व में टेंडर दाखिल कर चुके हैं, उन्हें दोबारा धरोहर धनराशि देने की आवश्यकता नहीं होगी।

  
(ब्रिजेंद्र कुमार श्रिवस्तव)  
सदस्य,  
क्य एवं वित्त समिति /  
विशेष न्यायाधीश,  
ई0सी0एक्ट  
बाराबंकी।

  
(भानुदेव शर्मा)  
सदस्य,  
क्य एवं वित्त समिति /  
अपर जिला जज, न्याया० सं०२,  
बाराबंकी।

  
(ज्योति शर्कर मिश्रा)  
अध्यक्ष,  
क्य एवं वित्त समिति /  
विशेष न्यायाधीश,  
एस0सी0 / एस0टी0एक्ट,  
बाराबंकी।

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को अपलोड एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।


1. न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
  2. माननीय उच्च न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
  3. जिलाधिकारी / एन0आई0सी0 की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
  4. जिला सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चर्ष्यां करने हेतु।


1. कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।
4. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी।
5. कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी बाराबंकी।
6. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चर्ष्यां करने हेतु।


—कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी—

टेण्डर आमंत्रित करने हेतु नियम य शर्तें—

- 1.समस्त सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धित फर्म को पुस्तकालय/नजारत अनुभाग, जजी बाराबंकी में स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।
- 2.भुगतान माननीय उच्च न्यायालय से अनुदान प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।
- 3.आवेदक को टेण्डर के साथ सामग्री का मूल्य, उनके ब्राण्ड का नाम, नमूने यदि ब्राण्ड कई प्रकार के है तो सभी प्रकार के नमूने एवं उन सभी का मूल्य (समस्त कर सहित) अंकित कर संलग्न करना होगा।
- 4.किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार जिला जज, बाराबंकी में निहित है, इसके लिए कारण बताने हेतु जिला जज, बाराबंकी बाध्य नहीं होंगे।
- 5.किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, बाराबंकी होगा।
- 6.फर्म का पंजीकरण ट्रेड टैक्स में होना अनिवार्य है।

  
22/7/16  
(ब्रिजेन्द्र कुमार शिवस्त) सदस्य,  
कय एवं वित्त समिति/  
विशेष न्यायाधीश,  
ई0सी0एक्ट  
बाराबंकी।

  
22/7/16  
(भानुदेव शर्मा) सदस्य,  
कय एवं वित्त समिति/  
अपर जिला जज, न्याया0 स02,  
बाराबंकी।

  
22/7/16  
(अनिश) अध्यक्ष,  
कय एवं वित्त समिति/  
विशेष न्यायाधीश,  
एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,  
बाराबंकी।